संख्या-601/2026/846/22-2-2026-17(1610)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 24 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील तिवारी पुत्र श्री जालिपा प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-5041(सी०आर०एल०पी०)/2025 सुनील तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक-27.10.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये, जिसके क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

''20. Accordingly, the writ petition is allowed. The order impugned dated 24.02.2025, a copy of which is Annexure- 1 to the writ petition, is quashed.

21. The competent authority shall proceed to pass a fresh order on the application of petitioner in accordance with law, rules and policies applicable, keeping in view the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in case of 'Rashidul Jafar @ Chota (supra) The order shall be passed within four weeks from the date the petitioner surrenders.

22. Further, considering the order dated 17.12.2024 passed by Hon'ble Supreme Court in case of Surendra @ Sunda (supra), copy of which is annexed as Annexure No.7 to the short counter affidavit filed on behalf of respondent no.3, more particularly paragraph-4 which clearly provides that order dated 13.11.2024 shall remain in operation until further orders or subject to the orders passed by the authorities regarding allowing/rejection of the representation of petitioner and the representation of remission having been rejected, as such the petitioner shall surrender within three weeks from today.''

2- उल्लेखनीय है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक-27.10.2025 के अनुपालन में याची को 03 सप्ताह के अन्दर आत्मसमर्पण करने के पश्चात उनके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक-20.12.2025 को शासन द्वारा 04 सप्ताह के अन्तर्गत निस्तारित करने के आदेश दिये गये थे, किन्तु याची द्वारा मा० उच्च् न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन न करते हुए मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-5041(सी०आर०एल०पी०)/2025 सुनील तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक-27.10.2025 के विरूद्ध मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में (एस०एल०पी० क्रिमिनल) संख्या-64548/2025 सुनील तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा दिनांक-14.11.2025 एवं दिनांक-12.12.2025 को हुई सुनवाई में निम्न आदेश पारित किये गये, जिसके प्रभावी आदेश निम्नवत है:-

आदेश दिनांक-14.11.2025

''1. Heard learned counsel for the petitioner.

2. Perused the application.

3. In the facts of the case, I am not inclined to consider the prayer seeking exemption from surrendering favourably. The learned counsel seeks four weeks' time to comply with the requirements of the order dated 27.10.2025 passed by the High Court. Accordingly, the time granted to the Petitioner to surrender is extended by four weeks. 4. The Interim Application stands disposed of.''

आदेश दिनांक-12.12.2025

''Learned counsel for the petitioner prays for and is granted a week's time to file the surrendering certificate.

List after one week.''

3- मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आत्मसमर्पण किये जाने से कोई राहत प्रदान न करने के पारित आदेश दिनांक-14.11.2025 के क्रम में याची द्वारा मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर के समक्ष दिनांक-17.12.2025 को आत्मसमर्पण किया गया। तदोपरांत याची द्वारा शासन के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दिनांक-20.12.2025 प्रस्तुत किया गया।

4- याची का प्रत्यावेदन समयान्तर्गत निस्तारित न हो पाने के कारण अवमानना याचिका (सिविल) सं0-1499/2026 सुनील तिवारी बनाम श्री शिव गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये:-

''1. Taking note of the specific averments made in paragraphs 5 to 8 of the affidavit filed in support of the application for impleadment, the same is allowed.

2. The learned counsel for the applicant is permitted to implead the opposite parties, as prayed in the application under consideration, in the array of parties of the instant contempt application/petition during the course of the day.

3. Issue notice to newly impleaded opposite party Nos. 2 and 3. Steps in this regard be taken within seven working days.

4. List/put up this case on 22.05.2026, on which date the opposite party Nos. 2 and 3/contemnors shall appear before this Court to show cause as to why they should not be charged for committing deliberate and intentional noncompliance/disobedience of this Court's order dated 27.10.2025 passed in Criminal Misc. Writ Petition No. 5041 of 2025 and, therefore, are liable to be punished under the provision of Contempt of Courts Act, 1971.

5. However, if the opposite party Nos. 2 and 3 have already complied with this Court's order dated 27.10.2025 in time, a compliance affidavit shall be filed by the competent authority on or before the next date fixed and he need not to appear before this Court.

6. If the order dated 27.10.2025 has not been complied with within time for some reason then it is open for the opposite party Nos. 2 and 3 to comply with the order in issue within two weeks from the date of receipt/knowledge this order and file an

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

affidavit in this regard alongwith the proof of payment of Rs. 5,000/- to the applicant for harassment and compelling/forcing him to file this contempt petition/application and also for not complying the order in issue within time and if that is done then also the opposite party Nos. 2 and 3 need not to appear in that case also.

7. Let this order be communicated to the opposite party Nos. 2 and 3 through Chief Judicial Magistrate concerned forthwith for ensuring compliance.''

5- मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या-5041(सी०आर०एल०पी०)/2025 सुनील तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.10.2025 के समादर में कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के आदेश संख्या-194 रिट/22-2-2026 दिनांक-15.05.2026 द्वारा याची का प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा निस्तारित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित अवमानना याचिका (सिविल) सं0-1499/2026 सुनील तिवारी बनाम श्री शिव गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.04.2026 के समादर में प्रतिवादी संख्या-2 के रूप में प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण एवं याची के खाते में रूपये 5000/- जमा कराते हुए अनुपालन प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया।

6- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित अवमानना याचिका (सिविल) सं0-1499/2026 सुनील तिवारी बनाम श्री शिव गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक-22.05.2026 को हुयी सुनवाई में मा० न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है:-

''I . Affidavit of compliance filed by Sri Rajesh Kumar Verma, the learned State counsel in the Court today is taken on record.

2. A perusal of the order dated 15.05.2026 passed by the respondent No. 2/Sri Anil Garg, Principal Secretary, Prison Administration Reforms Services, Lucknow, U.P., annexed as Annexure No. 1 to the compliance affidavit, indicates that final decision has not been taken on the issue of remission/premature release of the applicant, which ought to have been taken in terms of the order of Writ Court in issue dated 27.10.2025 passed in Criminal Misc. Writ Petition No. 5041 of 2025 (Sunil Tiwari vs. State of U.P. and others).

3. Taking note of the aforesaid, the learned State counsel is directed to file a better compliance affidavit in the matter by the next date of listing, failing which the officer concerned shall remain present before this Court on the next date fixed in the case for the purposes of proceeding further in the matter, which includes framing of charges.

4. List/put put up this case on 27.05.2026.''

7- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० न्यायालय के आदेश दिनांक-27.10.2025 के अनुपालन में उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16584/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-20.04.2026) दिनांक-24-04-2026 द्वारा पुनर्विचारित प्रस्ताव प्रोबेशन बोर्ड के समक्ष रखा गया, जिसमें प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों द्वारा याची के समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में सम्यक रूप से पुनर्विचार किया गया।

Digitally

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

पूर्व में हुयी हत्या एवं जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 16/17.11.2006 को बन्दी द्वारा अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-271/2007, भा०द०वि० की धारा-148, 302/149, 449 में मा० विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा 2-अ0सं0-237/2006, मुकदमा नं0-111/2012, धारा-3 यू०पी०जी० एक्ट में मा० न्यायालय, ए०एस०जे०-05, सीतापुर के आदेश दिनांक 27.10.2018 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-19.04.2026 तक अपरिहार 17 वर्ष, 08 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 21 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, सीतापुर, जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा असीमित व जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, सामूहिक हत्या होने के कारण अभी भी तनाव व्याप्त होने, जेल में बंद रहने से अपराध कारित नहीं कर सकने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

8- प्रोबेशन बोर्ड द्वारा पुनर्विचार के उपरांत यह पाया गया कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी का आचरण संतोषजनक होने के बावजूद पूर्व में हुयी हत्या एवं जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 16/17.11.2006 को बन्दी द्वारा अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध असीमित व जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक, सीतापुर एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनायी जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता (05 हत्या), स्थायी नीति व नामिनल रोल के अन्तर्गत बंदी द्वारा तीन या उससे अधिक हत्या में 25 वर्ष अपरिहार तथा 30 वर्ष सपरिहार सजा भोगने पर समयपूर्व रिहाई का प्राविधान होने एवं पुलिस अधीक्षक, सीतापुर एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुनील तिवारी पुत्र श्री जालिपा प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित कारागार मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के अभिमत पर सक्षम स्तर(श्री राज्यपाल) द्वारा सम्यक विचारोपरांत बंदी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व मुक्ति का पात्र नहीं पाते हुए उक्त बंदी की समयपूर्व रिहाई को अस्वीकार कर दिया गया है।

09- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील तिवारी (बन्दी संख्या-52653) पुत्र श्री जालिपा प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-601/2026/846(1)/22-2-2026 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या-5041/2025 सुनील तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित अवमानना याचिका (सिविल) सं0-1499/2026 सुनील तिवारी बनाम श्री शिव गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.05.2026 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-601/2026/846/22-2-2026-17(1610)/2022

दिनांक: 24 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-5041(सी०आर०एल०पी०)/2025 सुनील तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक-27.10.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये, जिसके क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

''20. Accordingly, the writ petition is allowed. The order impugned dated 24.02.2025, a copy of which is Annexure- 1 to the writ petition, is quashed.

21. The competent authority shall proceed to pass a fresh order on the application of petitioner in accordance with law, rules and policies applicable, keeping in view the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in case of 'Rashidul Jafar @ Chota (supra) The order shall be passed within four weeks from the date the petitioner surrenders.

22. Further, considering the order dated 17.12.2024 passed by Hon'ble Supreme Court in case of Surendra @ Sunda (supra), copy of which is annexed as Annexure No.7 to the short counter affidavit filed on behalf of respondent no.3, more particularly paragraph-4 which clearly provides that order dated 13.11.2024 shall remain in operation until further orders or subject to the orders passed by the authorities regarding allowing/rejection of the representation of petitioner and the representation of remission having been rejected, as such the petitioner shall surrender within three weeks from today.''

उल्लेखनीय है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक-27.10.2025 के अनुपालन में याची को 03 सप्ताह के अन्दर आत्मसमर्पण करने के पश्चात उनके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक-20.12.2025 को शासन द्वारा 04 सप्ताह के अन्तर्गत निस्तारित करने के आदेश दिये गये थे, किन्तु याची द्वारा मा० उच्च् न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन न करते हुए मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-5041(सी०आर०एल०पी०)/2025 सुनील तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक-27.10.2025 के विरूद्ध मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में (एस०एल०पी० क्रिमिनल) संख्या-64548/2025 सुनील तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-14.11.2025 एवं दिनांक-12.12.2025 को हुई सुनवाई में निम्न आदेश पारित किये गये, जिसके प्रभावी आदेश निम्नवत है:-

आदेश दिनांक-14.11.2025

''1. Heard learned counsel for the petitioner.

2. Perused the application.

3. In the facts of the case, I am not inclined to consider the prayer seeking exemption from surrendering favourably. The learned counsel seeks four weeks' time to comply with the requirements of the order dated 27.10.2025 passed by the High

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

Court. Accordingly, the time granted to the Petitioner to surrender is extended by four weeks. 4. The Interim Application stands disposed of.''

<u>आदेश दिनांक-12.12.2025</u>

''Learned counsel for the petitioner prays for and is granted a week's time to file the surrendering certificate.

List after one week.''

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आत्मसमर्पण किये जाने से कोई राहत प्रदान न करने के पारित आदेश दिनांक-14.11.2025 के क्रम में याची द्वारा मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर के समक्ष दिनांक-17.12.2025 को आत्मसमर्पण किया गया। तदोपरांत याची द्वारा शासन के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दिनांक-20.12.2025 प्रस्तुत किया गया।

याची का प्रत्यावेदन समयान्तर्गत निस्तारित न हो पाने के कारण अवमानना याचिका (सिविल) सं0-1499/2026 सुनील तिवारी बनाम श्री शिव गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये:-

''1. Taking note of the specific averments made in paragraphs 5 to 8 of the affidavit filed in support of the application for impleadment, the same is allowed.

2. The learned counsel for the applicant is permitted to implead the opposite parties, as prayed in the application under consideration, in the array of parties of the instant contempt application/petition during the course of the day.

3. Issue notice to newly impleaded opposite party Nos. 2 and 3. Steps in this regard be taken within seven working days.

4. List/put up this case on 22.05.2026, on which date the opposite party Nos. 2 and 3/contemnors shall appear before this Court to show cause as to why they should not be charged for committing deliberate and intentional noncompliance/disobedience of this Court's order dated 27.10.2025 passed in Criminal Misc. Writ Petition No. 5041 of 2025 and, therefore, are liable to be punished under the provision of Contempt of Courts Act, 1971.

5. However, if the opposite party Nos. 2 and 3 have already complied with this Court's order dated 27.10.2025 in time, a compliance affidavit shall be filed by the competent authority on or before the next date fixed and he need not to appear before this Court.

6. If the order dated 27.10.2025 has not been complied with within time for some reason then it is open for the opposite party Nos. 2 and 3 to comply with the order in issue within two weeks from the date of receipt/knowledge this order and file an affidavit in this regard alongwith the proof of payment of Rs. 5,000/- to the applicant for harassment and compelling/forcing him to file this contempt petition/application and also for not complying the order in issue within time and if that is done then also the opposite party Nos. 2 and 3 need not to appear in that case also.

7. Let this order be communicated to the opposite party Nos. 2 and 3 through Chief Judicial Magistrate concerned forthwith for ensuring compliance.''

मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या-5041(सी०आर०एल०पी०)/2025 सुनील तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.10.2025 के समादर में

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के आदेश संख्या-194 रिट / 22-2-2026 दिनांक-15.05.2026 द्वारा याची का प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा निस्तारित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित अवमानना याचिका (सिविल) सं0-1499/2026 सुनील तिवारी बनाम श्री शिव गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.04.2026 के समादर में प्रतिवादी संख्या-2 के रूप में प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण एवं याची के खाते में रूपये 5000/- जमा कराते हुए अनुपालन प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित अवमानना याचिका (सिविल) सं0-1499/2026 सुनील तिवारी बनाम श्री शिव गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक-22.05.2026 को हुयी सुनवाई में मा० न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है:-

"I . Affidavit of compliance filed by Sri Rajesh Kumar Verma, the learned State counsel in the Court today is taken on record.

2. A perusal of the order dated 15.05.2026 passed by the respondent No. 2/Sri Anil Garg, Principal Secretary, Prison Administration Reforms Services, Lucknow, U.P., annexed as Annexure No. 1 to the compliance affidavit, indicates that final decision has not been taken on the issue of remission/premature release of the applicant, which ought to have been taken in terms of the order of Writ Court in issue dated 27.10.2025 passed in Criminal Misc. Writ Petition No. 5041 of 2025 (Sunil Tiwari vs. State of U.P. and others).

3.Taking note of the aforesaid, the learned State counsel is directed to file a better compliance affidavit in the matter by the next date of listing, failing which the officer concerned shall remain present before this Court on the next date fixed in the case for the purposes of proceeding further in the matter, which includes framing of charges.

4.List/put put up this case on 27.05.2026."

अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० न्यायालय के आदेश दिनांक-27.10.2025 के अनुपालन में उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16584/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-20.04.2026) दिनांक-24-04-2026 द्वारा पुनर्विचारित प्रस्ताव प्रोबेशन बोर्ड के समक्ष रखा गया, जिसमें प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों द्वारा याची के समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में सम्यक रूप से पुनर्विचार किया गया।

पूर्व में हुयी हत्या एवं जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 16/17.11.2006 को बन्दी द्वारा अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-271/2007, भा०द०वि० की धारा-148, 302/149, 449 में मा० विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा 2-अ0सं0-237/2006, मुकदमा नं0-111/2012, धारा-3 यू०पी०जी० एक्ट में मा० न्यायालय, ए०एस०जे०-05, सीतापुर के आदेश दिनांक 27.10.2018 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-19.04.2026 तक अपरिहार 17 वर्ष, 08 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 21 दिन की सजा भोगी गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

पुलिस अधीक्षक, सीतापुर, जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा असीमित व जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, सामूहिक हत्या होने के कारण अभी भी तनाव व्याप्त होने, जेल में बंद रहने से अपराध कारित नहीं कर सकने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा पुनर्विचार के उपरांत यह पाया गया कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी का आचरण संतोषजनक होने के बावजूद पूर्व में हुयी हत्या एवं जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 16/17.11.2006 को बन्दी द्वारा अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध असीमित व जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक, सीतापुर एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनायी जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता (05 हत्या), स्थायी नीति व नामिनल रोल के अन्तर्गत बंदी द्वारा तीन या उससे अधिक हत्या में 25 वर्ष अपरिहार तथा 30 वर्ष सपरिहार सजा भोगने पर समयपूर्व रिहाई का प्राविधान होने एवं पुलिस अधीक्षक, सीतापुर एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुनील तिवारी पुत्र श्री जालिपा प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।